

जोकिन्दर

अगल अधिकारी का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या- 29/2017-18.

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

11.07.16

झारखण्ड सरकार के झापांक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र/संख्या-3-खा0म0मिति-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1986 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिषद संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों को जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा-~~रतारवा~~ 14, थाना- 47, खाता संख्या- 69, प्लॉट संख्या- 235

रकबा- 0.15, एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनायाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या- 01 के पृष्ठ संख्या- 1512, मर जमाबंदी रैयत पुनाराम मस्ती के नाम से कायम है।

यिता कंगाली मस्ती

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम/जमाबंदी का संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अथवा बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ झादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 19.7.16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित
अंचल अधिकारी


अंचल अधिकारी

13.01.18

अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्मचारी/प्रमारी अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन, नक्शा चौहदी सहित, जमाबंदी रैयत के वंशजो द्वारा समर्पित राजस्व कागजात/शपथ पत्र/स्वधोषणा पत्र एवं संघारित पंजी ॥ के पृष्ठ संख्या 152... जमाबंदी रैयत गुनाराम मस्तो पिता कालीचरण के नाम से दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में अबु इय्युल खाने 44, 62-63 खाता 69 प्लॉट 235 रकवा 15 अ० अंकित है। लगान रसीद वर्ष 68-69 से निर्गत होने का विवरण है। उक्त संकल्प के आलोक में जो वर्ष 1985 से पूर्व का सिद्ध करता है। साथ ही जमाबंदी रैयत का शपथ पत्र में उल्लेखित नामित उत्तराधिकार के रूप में 1. रवगदेव मस्तो पिता स्व० बाबु लाल मस्तो 2. कालीचरण मस्तो 3. देस लाल मस्तो 4. सुलतन प्र० मस्तो पिता स्व० फबीर मस्तो

का प्रश्नगत सरकारी भू-खण्ड पर कृषि/आवासीय के रूप में दखलकार है। उक्त नामित उत्तराधिकारी जमाबंदी रैयत के वंशज सरकारी नौकरी/आयकर दाता के श्रेणी में नहीं है। इनके पास कुल धारित रकवा-2.00 एकड़ से कम/अधिक है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में झारखण्ड सरकार राँची द्वारा निर्गत संकल्प में निहित शर्तों को पुरा करता है। इस आधार पर उक्त जमाबंदी को वर्तमान उत्तराधिकारियों 1. रवगदेव मस्तो पिता स्व० बाबु लाल मस्तो 2. कालीचरण मस्तो एवं अन्य के नाम से नियमितिकरण करने की अनुशंसा की जाती है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप-समाहर्ता, धनवाद को भेजे।


अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर